न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

उनवान – हरफूल सिंह बनाम तहसीलदार सीकर

किस्म मुकदमा – प्रा0–पत्र 136 एल.आर.एक्ट 1956 मुकदमा नं विविध 172/ वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा पत्र	
21-5-25	तहसीलदार सीकर द्वारा पत्रांकः–1545 दिनांक 22.04.2025 द्वारा वाके ग्राम दादिया पटवार हल्का दादिया तहसील व जिला सीकर के खाता संख्या 293 के खसरा नम्बर 105, 106, 107, 1261/622, 1262/622, 603 कुल किता 06 में खातेदार हरफूल पुत्र जवारा के स्थान पर खातेदार का नाम हरफूल सिंह पुत्र जवाहर सिंह शुद्ध किये जाने बाबत् भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत प्रस्ताव भिजवाया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार ग्राम दादिया पटवार हल्का दादिया तहसील व जिला सीकर के खाता संख्या 293 के खसरा नम्बर 105, 106, 107, 1261/622, 1262/622, 603 कुल किता 06 में खातेदार हरफूल पुत्र जवारा का अन्य सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, वोटर आई डी, पैन कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम हरफूल सिंह पुत्र जवाहर सिंह दर्ज है जबकि उक्त भूमि में खातेदार के रूप में प्रार्थी का नाम हरफूल पुत्र जवारा अंकित है। उक्त रिपोर्ट वाके ग्राम दादिया तहसील व जिला सीकर की जमाबंदी सम्वत् 2075–78 के खाता संख्या 293 में खातेदार का नाम में हरफूल पुत्र जवारा के स्थान पर खातेदार का नाम हरफूल सिंह पुत्र जवाहर सिंह शुद्ध किया जाने बाबत् रिपोर्ट भिजवाई है। रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया, रिपोर्ट के तथ्यों से संतुष्ट होने पर रिपोर्ट तहसीलदार को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, सीकर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर वाके ग्राम दादिया पटवार हल्का दादिया तहसील व जिला सीकर के खाता संख्या 293 के खसरा नम्बर 105, 106, 107, 1261/622, 1262/622, 603 कुल किता 06 में खातेदार हरफूल पुत्र जवारा के स्थान पर खातेदार का नाम हरफूल सिंह पुत्र जवाहर सिंह शुद्ध किये जाने की स्वीकृति धारा 136 एलआरएक्ट के प्रावधानों के तहत प्रदान की जाती है। उपखण्ड अधिकारी सीकर उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज.)	